

न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर
पीटासीन अधिकारी—श्री ओ०पी० बिश्नोई आर०ए०एस०

पंचायत निगरानी संख्या 02/2012

<u>प्राथी</u>	<u>बनाम</u>	<u>विप्रार्थीगण</u>
तुलसीराम पुत्र हरीराम जाति पालीवाल निवासी उमरलाई तहसील पचपदरा		1. सरपंच ग्राम पंचायत उमरलाई पंचायत समिति बालोतरा 2. भंवरलाल पुत्र राणाराम 3. हड़मानाराम पुत्र राणाराम जाति पालीवाल निवासी उमरलाई तहसील पचपदरा

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 बाबत
निरस्त करने पट्टा संख्या 27 दिनांक 06.12.2004 जो ग्राम पंचायत उमरलाई
द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पिता राणाराम के पक्ष में जारी किया गया।


उपस्थित:- 1. प्रार्थी अनुपस्थित
2. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 15.6.2016


1. प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत उमरलाई द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पिता राणाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 06.12.2004 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत उमरलाई द्वारा उमरलाई गांव की आबादी भूमि में संकल्प संख्या 5 दिनांक 6.12.2004 के द्वारा विप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता राणाराम के पक्ष में पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत नियमों व वास्तविक स्थिति एवं तथ्यों की अनदेखी कर पट्टा संख्या 27 दिनांक 6.12.2004 जारी किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता के पक्ष में आलौच्य पट्टा जारी किया गया है उसमें राजस्थान पंचायती राज नियमों की अनदेखी करते हुए वास्तविक काबिज व्यक्तियों को बिना सुने विप्रार्थी के पिता का




अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

निजी लाभ पहुंचाने हेतु जारी किया गया है। विप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के पिता राणाराम पुत्र पीराराम ने जो जारी वादग्रस्त पट्टे में जो पड़ौस दर्शाये गये हैं वो वास्तविक मौका स्थिति से मेल नहीं खाते हैं। वादग्रस्त पट्टे के पश्चिम दिशा में प्रार्थी के आधिपत्य की भूमि है, जिसका नियमन कर पट्टा जारी करने हेतु विप्रार्थी संख्या 01 से कई बार निवेदन किया गया है परन्तु विप्रार्थी संख्या 02 व 03 के चाचा सोमराज जो कि वार्ड पंच के पद पर काबिज था ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए स्वयं अपने एवं अपने भाई राणाराम, केसाराम व अपने भाई की पत्नी पपीदेवी के नाम प्रार्थी के आधिपत्य की भूमि के गलत पट्टे जारी करवा दिये। इसप्रकार विप्रार्थी संख्या 01 ने विप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पिता राणाराम के पक्ष में जो पट्टा संख्या 27 दिनांक 6.12.2004 जारी किया गया है, वो पंचायत राज अधिनियमों के विरुद्ध है। राणाराम के पक्ष में जारी किये गये पट्टे में खसरा नंबर अंकित नहीं है एवं न ही पट्टे पर तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के हस्ताक्षर है। पंचायती राज नियमों के तहत अधिकतम 300 वर्गगज का पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत अधिकृत है, उससे अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी करने हेतु जिला कलक्टर एवं विकास अधिकारी से अनुमति ली जानी चाहिए, जो नहीं की गई है। अतः ग्राम पंचायत उमरलाई द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पिता राणाराम के नाम जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 6.12.2004 को निरस्त किया जावे।

3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं ग्राम पंचायत उमरलाई से निगरानी से संबंधित रेकॉर्ड तलब किया गया।
4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राजस्व केम्प कोर्ट पंचपदरा में प्रस्तुत हुई, जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण के पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 उपस्थित रहे। प्रार्थी की ओर से उसके पुत्र मिश्रीमल द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया कि ग्राम उमरलाई खालसा बमोहल्ला पालीवालों का वास में पुश्तैनी कब्जासुदा प्लॉट आया हुआ है, जिसमें वह निवास कर रहा है। उक्त प्लॉट पर विप्रार्थी संख्या 2 व 3 जबरन कब्जा करना चाहते हैं तथा सरपंच व ग्राम सेवक के साथ मिलीभगत कर इस प्लॉट का पट्टा बना दिया है। उक्तप्लॉट पर उसका पुश्तैनी कब्जा है, लेकिन सरकारी रिकार्ड के नक्शे में प्लॉट में रास्ता दर्शाया गया है, जो मौके पर नहीं है, इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर





अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

सरकारी रिकार्ड में संशोधन करावें। विप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत उमरलाई द्वारा ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पिता राणाराम द्वारा आवेदन करने पर पंचायती राज नियमों के नियम 167/1 के अनुसार मिसल संख्या 27/2004 कायम कर विधिवत रूप से राशि 1233/- प्राप्त कर पट्टा जारी किया गया है, जिसका पंजीयन उप पंजीयक जसोल द्वारा दिनांक 28.3.2005 को किया गया है। आबादी भूमि में पट्टे जारी होने पर उसमें खसरे का विवरण अंकित नहीं किया जाता है, केवल आस पड़ौस अंकित किये हैं। पट्टा जारी करने से पूर्व विधिवत रूप से मौका फर्द व मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत उमरलाई द्वारा उनके पिता राणाराम के नाम पट्टा जारी किया गया है, वह भूमि उक्त सेटलमेंट व सेटलमेंट से पूर्व उनके पिता व दादा की सम्पत्ति है एवं पट्टा की भूमि पर उनका कब्जा एवं आवासीय मकान बना हुआ है, जिसमें उनका रहवास है।

5. हमने उभय पक्ष को सुना। ग्राम पंचायत उमरलाई के रिकार्ड का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पिता राणाराम द्वारा आवेदन करने पर पंचायती राज नियमों के नियम नियम 156(1) के अनुसार मिसल संख्या 27/2004 कायम कर विधिवत रूप से राशि 1233/- प्राप्त कर पट्टा जारी किया गया है, जिसका पंजीयन उप पंजीयक जसोल द्वारा दिनांक 28.3.2005 को किया गया है। नियम 156(1) के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा भूमि का विक्रय करने का प्रावधान है एवं उप नियम (क) अनुसार पंचायत किसी भी आबादी भूमि को प्रावर्ट बातचीत से विक्रय के जरिये अंतरित कर सकेगी जहाँ किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्याय संगत हो और नीलाम से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती है, उप नियम (ख) अनुसार जहाँ कोई अतिचार हो या लेखबद्ध किये जाने वाले किसी भी अन्य कारण से पंचायत यह समझती हो कि नीलाम भूमि के निर्वर्तन का कोई सुविधाजनक ढंग नहीं होगा। नियम 156 (2) अनुसार किसी भी मामले में ऐसी आबादी भूमि उप रजिस्ट्रार द्वारा नियम और विकास अधिकारी द्वारा गांव की विद्यमान बाजार कीमत के रूप में संसूचित कीमत से नीचे के किसी दर पर अंतरित नहीं की जाएगी। ग्राम पंचायत उमरलाई ने अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पिता राणाराम को राशि रूपये 1233/- कीमतन पर पट्टा जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत उमरलाई के कथनानुसार सही है। प्रार्थी का यह कथन है कि




अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पिता राणाराम को जारी पट्टे की भूमि उसके आधिपत्य की है और पट्टा में अंकित पड़ोस वास्तविक मौका स्थिति से मेल नहीं खाते है। अप्रार्थीगण का कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा की भूमि वक्त सेटलमेंट व सेटलमेंट से पूर्व अप्रार्थीगण के पिता व दादा की सम्पति है, जिस पर ग्राम पंचायत ने विधिवत कार्यवाही करके पट्टा जारी किया है एवं पट्टा की भूमि पर उनका कब्जा एवं आवासीय मकान बनी हुआ है, जिसमे उनका रहवास है। उक्त दोनो विरोधाभासी तथ्यों के संबंध में तहसीलदार पचपदरा से मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार पचपदरा द्वारा पत्र संख्या 27.4.2016 से अवगत कराया कि उक्त विवादित भूमि ग्राम पंचायत उमरलाई खालसा की आबादी भूमि है जो ग्राम पंचायत के नाम दर्ज है, जिसमें रामाराम के पुत्रों के मकान बने हुए है, ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है वह सही है, जिनमें आगे आम चौक, विशनाराम पुत्र जेठाराम पालीवाल का मकान है, मकान के पीछे आम चौक व आगे गली बताई गई है, जिसके मौके पर बाड़ बनी हुई है, उक्त चौक बाबत् प्रार्थी के पास किसी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप ग्राम पंचायत उमरलाई द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाकर पट्टा जारी किया गया है, जिसका पंजीयन भी हो चुका है। मौके की जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित पट्टे की भूमि पर विप्रार्थीगण के मकानात बने हुए है। अतः ग्राम पंचायत उमरलाई द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता राणाराम को जारी किया गया पट्टा संख्या 27 दिनांक 6.12.2004 यथावत रखा जाकर प्रार्थी द्वारा पेश निगरानी खारिज की जाती है।



गया।

(ओपीओ बिश्नोई)
अपर कलेक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश खुले न्यायालय केम्प कोर्ट पचपदरा में आज दिनांक 15.6.2016 को सुनाया

अपर कलेक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)